न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1549—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—03—2014 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 108/2012—13/अपील

....

1— दुर्जन सिंह,
2— अनरत उर्फ गिरई सिंह,
3— जगत सिंह, पुत्रगण श्री चन्द्रभान सिंह ठाकुर,
निवासीगण— ग्राम बरेठी, तहसील—राजनगर,
जिला—छतरपुर (म0प्र0)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1— लाखन सिंह,
2— सुखदेव सिंह,
3— कोमल सिंह,
4— जालम सिंह, पुत्रगण श्री भुजबल सिंह
5— सीताराजा पुत्री श्री भुजबल सिंह
निवासीगण— ग्राम भदेसर, तहसील—नौगॉव,
जिला—छतरपुर, (म0प्र0)

.... अनावेदकगण

....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अनावेदक क्र0 1 से 5

....

आदेश

(आज दिनांक 18-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर, जिला—छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—03—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बरेठी, तहसील राजनगर, जिला—छतरपुर की विवातिद भूमि नं0 829, 830, 831, 832, 993, 1026, 1031, 1032, 1034, 1035, 1070, [illegible]

1072 एवं 1085 कुल किता 14 एकत्र रकबा 4.335 है0 आवेदकगण व अनावेदकगणों की पारिवारिक भूमि है। उक्त भूमियों का आपसी बटवारा आवेदकगण तथा अनावेदकगणों के पिता के मध्य पूर्व में हो चुका था । आवेदकगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का नामांतरण अपने नाम कराने हेतु नायब तहसीलदार बसारी, तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्रमांक 75/अ–6/2011–12 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 24.01.12 के द्वारा आवेदकगण के नाम नामांतरण का आवेदन–पत्र स्वीकार किया गया । उक्त भूमियों में से भूमि सर्वे नं0 829, 830, 831 एवं 832 कुल किता 4 का भू–अर्जन एन0टी0पी0सी0 बरेठी के लिये भू–अर्जन अधिकारी राजनगर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 6/अ–82/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2012 के द्वारा कर लिया गया। अनावेदकगण द्वारा इन्हीं भूमियों के संबंध में प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के समक्ष पेश की गई । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर में प्रकरण क्रमांक 108/2012–13/अपील पर पंजीबद्ध किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 28–03–2014 से अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदकगणों द्वारा प्रथम अपील के दौरान जो प्रार्थना के माध्यम से रिलीफ चाही गई है, वह इस न्यायालय की (राजस्व न्यायालय) परिधि से बाहर होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं थी, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई । प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा न्यायालय के समक्ष जोरदार तरीके से यह बात उठाये जाने के बावजूद भी कि अनावेदकगणों द्वारा जिसके पक्ष में भू–अर्जन हुआ है, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, तथा उनके द्वारा आवेदकगणों को मुआवजा भी प्रदान कर दिया गया है । ऐसे में उनसे किसी प्रकार का अनुतोष चाहे जाने पर उन्हें सुनना आवश्यक है। इस बात की भी अनदेखी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उक्त भूमियों में से भूमि सर्वे नं0 829, 830, 831 एवं 832 कुल किता 4 का भू–अर्जन एन0टी0पी0सी0 बरेठी के लिये भू–अर्जन अधिकारी राजनगर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 6/अ–82/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2012 के द्वारा कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकगणों द्वारा भू–अर्जन हो जाने के बाद भी स्वत्व का प्रश्न उठाया गया है, वह भी

राजस्व न्यायालय की परिधि से बाहर होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः ऐसा आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया गया। प्रकरण में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार बसारी ने उक्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किये बगैर व बिना पक्षकार बनाये ही आवेदकगण के हित में नामांतरण का आदेश पारित कर दिया, जबकि अनावेदकगण मृतक भुजबल सिंह के पुत्र/पुत्री होने के कारण विधिक वारिस एवं हितबद्ध पक्षकार थे। आवेदकगण ने यह भी तर्क दिया कि उक्त भूमियों में से भूमि सर्वे नं0 829, 830, 831 एवं 832 कुल किता 4 का भू–अर्जन एन0टी0पी0सी0 बरेठी के लिये भू–अर्जन अधिकारी राजनगर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 6/अ–82/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2012 के द्वारा कर लिया गया। यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य से प्रमाणित नहीं। जहां तक निगरानी में सुनवाई का प्रश्न है, इस समय केवल यह तथ्य विचारणीय है कि हितबद्ध व्यक्ति को पक्षकार बनाये बगैर पारित आदेश के विरूद्ध अपील करने की पात्रता थी अथवा नहीं । इस संबंध में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 110(3) एवं नवीन नामांतरण नियम 27 तथा सर्वोचित न्याय दृष्टांत जयदेव विरूद्ध लक्ष्मी 1986 रा.नि. 187 उल्लेखनीय है। इसी के अनुसार मृत भूमिस्वामी का निकट संबंध हितबद्ध व्यक्ति है और नामांतरण आदेश की जानकारी होने पर उसे अधिकार प्राप्त किये बिना भी अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर ने अनावेदकगण की अपील अनुमति आवेदन पत्र को स्वीकार किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर ने अनावेदकगण को अपील की स्वीकृति प्रदान करने में कोई वैधानिक भूल नहीं की है। क्योंकि अनावेदकगण मृतक भुजबल सिंह के वैध वारिस है और हितबद्ध व्यक्ति भी है, उन्हें प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2014 विधिक प्रक्रिया के अनुकूल होने

में स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर